न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौंहान , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20 / 2022

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. कृष्णलाल पुत्र विजयराजजी जाति जोशी निवासी आजोदर तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1. मूलसिंह पुत्र लाखा जाति रावणा राजपूत निवासी आजोदर तहसील रानीवाडा 2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री अमृत कटारिया।
3. अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक – 08.12.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा आजोदर तहसील रानीवाडा में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 980 रकबा 0.34 हैक्टेयर आई हुई है, जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 980 के दक्षिण पश्चिम में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 979 रकबा 0.13 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 981 रकबा 0.12 हैक्टेयर आई हुई है। उक्त प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 980 व अप्रार्थी की खातेदारी आराजी 979 व 981 की सीमा को लेकर विवाद होने पर प्रार्थी द्वारा श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा से उक्त आराजी की पैमाईश करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 74 दिनांक 11.03.2022 के जरिये उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश हल्का पटवारी आजोदर को दिये गये। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 02.05.2022 को हल्का पटवारी आजोदर मौके पर पैमाईश करने गये तथा पैमाईश शुरू की परन्तु मौके पर पड़ौसी खातेदारान ने पैमाईश से बताये गये निशानात को स्वीकार नहीं किया तथा उन्होने सभी माठो पर जरीब चलाने से मना कर दिया, जिससे श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाडा के आदेश की पालना नहीं की जा सकी तथा प्रार्थी की उक्त आराजी का सीमांकन विवाद होने से नहीं किया गया।

इस प्रकार प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 980 व अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 979, 981 के सीमा पर अप्रार्थी सीमा पर विवाद करते रहेते है। इसलिये प्रार्थी अपने खुद की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 980 व अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 979 व 981 की पैमाईश कर प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 980 व अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 979, 981 के बीच

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.16 14:40:39 IST
Reason: SelfAttested

की सीमा का सीमांकन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्डी करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है, जिस हेतु प्रार्थना पत्र पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा आजोदर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 980 रकबा 0.34 हैक्टेयर व अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 979 व 981 की पैमाईश कर उक्त खसरान के बीच की सीमा का सीमांकन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्डी करने के आदेश फरमावे।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 2 राजपेरोकार द्वारा जवाब दिया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर जवाब पेश किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी के बीच लोर को लेकर कोई विवाद नहीं है। मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि के बीच करीब 50–60 वर्षो पुरानी लौर कायम हैं तथा प्रार्थी व उसके पूर्वाधिकारी तथा अप्रार्थीगण अपनी अपनी आराजी पर करीबन 50 – 60 वर्षो से कब्जा काश्त निर्बाध रूप से करते आ रहे है। उक्त पत्थर गड्डी के प्रार्थना पत्र को पेश करने से पूर्व प्रार्थी को श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा के आदेश से पक्षकारान की उपस्थिति में हल्का पटवारी द्वारा पैमाईश करवाया जाना अति आवश्यक है, परन्तु उक्त प्रकरण में आराजी की पैमाईश अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में हल्का पटवारी से मिलावट कर प्रार्थी ने अपने पक्ष की रिपोर्ट तैयार करवाई है तथा प्रार्थी ने उक्त आराजी को करीबन 7 वर्ष पूर्व खरीदी थी तथा उक्त समय प्रार्थी ने अपने उक्त आराजी के खरीद दस्तावेज में उल्लेखित किया है कि प्रार्थी द्वारा मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया है, यानि सात वर्ष पूर्व प्रार्थी की उक्त खरीद सुदा भूमि पर विवाद विद्यमान नही था तो अब यह विवाद कैसे उत्पन्न हो गया। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मात्र अप्रार्थी को हैरान व परेशान करने के उदेश्य से पेश किया है। जो काबिल खारिज है। व कमेटी गठित कर सीमाज्ञान किया जाना न्यायोचित नहीं है।

4. अप्रार्थी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जबाव पेश किया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है मौजा आजोदर के खसरा नम्बर 980 रकबा 0.34 हैक्टेयर की भूमि प्रार्थी की खातेदारी है। उक्त आराजी के पड़ौस में खसरा नम्बर 979, 981 स्थित है। तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी है। एवं प्रार्थी द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 980 रकबा 0.34 हैक्टेयर के पैमाईश हेतु सक्षम स्तर से आदेश जारी करवाकर हल्का पटवारी से पैमाईश करवायी गयी। हल्का पटवारी की मौका फर्द अनुसार वक्त पैमाईश पड़ौसी खातेदारान ने माठ पर जरीब चलाने नही दी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ,हल्का पटवारी की मौका फर्द व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मौजा आजोदर के खसरा नम्बर 980 की पत्थर गड्डी की जाती है तो भूमिधारी को कोई आपत्ति नही है। तथा न ही राजहित प्रभावित होता है।

5. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान अधिवक्ता व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों व अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब के कथनों को बहस में दोहराया गया।

6. हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने व प्रार्थी व अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 2 राजपेरोकार द्वारा के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 02.05.2022 को श्रीमान रानीवाडा से सीमांकन करवाने पर खसरा नम्बर 980 रकबा 0.34 हैक्टेयर के पैमाईश करने पर पड़ौसी खातेदारों द्वारा निशानातं स्वीकार नहीं किये जिससे सीमाकंन नहीं किया गया। व

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.16 14:40:39 IST
Reason: SDM Attested

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी ऐसी स्थिति में प्रार्थी मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा आजोदर के खसरा नम्बर 980, 979 व 981 के मध्य की माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

—: आदेश :—

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा आजोदर पटवार हल्का आजोदर के खसरा नम्बर 980, 979, 981 रकबा क्रमश 0.34, 0.13, 0.12 हैक्टेयर आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(कुसुमलता चौंहान)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 08.12.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.16 14:40:39 IST
Reason: SelfAttested